

म0प्र0 शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/डी-17-16/2018/14-3

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2019


प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश.

विषय:- दिनांक 15 जनवरी, 2019 से ग्राम पंचायतों में हरी/सफेद सूची प्रदर्शन किए जाने के संबंध में।

—00—

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त जानकारी अंग्रेजी भाषा में है जिसका हिन्दी में अनुवाद किसी भी एप/प्रोग्राम के उपयोग से पोर्टल पर किये जाने में त्रुटियाँ परिलक्षित हो रही हैं। चूँकि ग्राम पंचायतों में प्रदर्शित सूचियों में नाम हिन्दी में प्रदर्शित करना आवश्यक है। इसलिए ग्रामवार हरी/सफेद सूचियों को पोर्टल से डाउनलोड करने के उपरान्त सूची के अंग्रेजी में लिखे नाम के कॉलम में आगे कृषकों के नाम हिन्दी में हाथ से लिखने उपरान्त सूची प्रदर्शित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में हरी/सफेद सूची के नाम अंग्रेजी में ग्राम पंचायतों में प्रदर्शन नहीं किया जावे। ग्रामवार सूची में अंग्रेजी में प्रदर्शित नाम के बाद एक कॉलम हिन्दी में नाम दर्ज करने के लिए रिक्त छोड़ा गया है। उक्त रिक्त स्थान में हिन्दी में हाथों से नाम लिखने का कार्य 14 जनवरी, को अथवा 15 जनवरी को प्रातः नोडल अधिकारी (ग्राम पंचायत) के द्वारा आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे। जिन ग्राम पंचायतों में सूचियाँ 15 जनवरी के बाद किन्तु 26 जनवरी के पहले प्रदर्शित की जावें। वहाँ भी उक्तानुसार कार्य आवश्यक रूप से प्रदर्शित की जाने से पहले सुनिश्चित किए जावें।


(डॉ. राजेश राजप्रसाद)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2019

पू.क्रमांक/डी-17-16/2018/14-3

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, सह कृषि उत्पादन आयुक्त म.प्र. शासन, भोपाल।
 2. आयुक्त, म.प्र. शासन, संस्थागत वित्त, भोपाल।
 3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
 4. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
 5. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति भोपाल।
 6. श्री संदीप एस. राजपाल, बिजनेस हेड, एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल।
 7. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय मध्यप्रदेश।
 8. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग